न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री परशुराम धानका RA.S.

अपील संख्या : 66/2016 (223 RT Act) तारीख रज्जू : 23.06.2016

आरसीएमएस : 2016/00110

अनवान

1. प्रताप पुत्र साहबसिंह
2. अंगूरी पत्नी प्रतापसिंह – मृतका

2/1. प्रतापसिंह उम्र 85 साल पुत्र साहबसिंह

2/2 सत्यलेखा उम्र 40 साल पत्नी स्व० जगदीश

2/3 अरुणसिंह उम्र 25 साल पुत्र स्व० जगदीश

2/4 हरीसिंह उम्र 55 साल] पुत्रान प्रतापसिंह
2/5 पूरनसिंह उम्र 53 साल]
2/6 वीरेन्द्र उम्र 50 साल]

2/7 वीरमती उम्र 60 साल] पुत्रीयान प्रतापसिंह
2/8 कमलेश उम्र 45 साल]

3. विजयसिंह पुत्र मानसिंह
4. अजयसिंह पुत्र मानसिंह
5. विजय पुत्री मानसिंह
6. मिथलेश पुत्री मानसिंह

समस्त जाति जाट निवासी पीरनगर तहसील व जिला भरतपुर, राज०।

— अपीलांटस

बनाम

1. भूरीसिंह पुत्र साहबसिंह] जाति जाट निवासी पीरनगर तहसील
2. लाखनसिंह पौत्र हेता] व जिला भरतपुर, राज०।

— रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 RT Act विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर दिनांक 26-05-2016 प्रकरण संख्या 43/2012 अनवानी भूरीसिंह बनाम प्रतापसिंह आदि।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

उपस्थित :-
1. अपीलांट्स की ओर से वकील श्री महाराज सिंह डागुर।
2. रेस्पोडेंट्स की ओर से वकील श्री गोविंद सिंह डागुर।

निर्णय दिनांक: 26-07-2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 RT Act न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 26-05-2016 के विरुद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री विधि विरुद्ध है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नही किया है कि विवादित आराजी के संबंध में लगभग इन्ही पक्षकारों के मध्य एवं रकबा दुरुस्ती का दावा उनके ही समक्ष विचाराधीन है। न्यायालय तहत ने मृतक व्यक्तियों स्व० मानसिंह पिता व स्व० अमरवती माँ रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के विरुद्ध निर्णय पारित किया है जो शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी की ओर से वाद के समर्थन में कोई साक्ष्य मौखिक अथवा दस्तावेजी प्रस्तुत नही की है और न ही कोई प्रलेख वादी पक्ष के द्वारा साक्ष्य में प्रदर्शित कराया गया है। इस प्रकार बिना साक्ष्य के दावा रेस्पो० संख्या 4 (वादी) की डिक्री करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा में कोई विवाद बिंदु भी निर्धारित नही किये है और न ही कोई साक्ष्य अभिलिखित की गई है इसलिये निर्णय व डिक्री तहत कतई गलत है। ~~अधीनस्थ~~ अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री में यह भी स्पष्ट नही किया है कि पक्षकारों (वादी + प्रतिवादीगण) के आराजी मुतनाजा में कितने हिस्से है और कौन पक्षकार कितने भाग का खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया और न ही साक्ष्य हेतु कोई मौका दिये बिना सुनवाई प्रतिवादीगण एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। दावा रेस्पोडेंट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चलने योग्य नही रहा था क्योंकि दावा में पक्षकारों, विवाद कारण व विपरीत अनुतोष का कुसंयोजन है। विवादग्रस्त आराजी गावडी, बछामदी, पीरनगर, नगला केवल तहसील भरतपुर में व दो भिन्न-भिन्न गिरदावर हल्को में स्थित है

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

इसलिये तहत न्यायालय को इस प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार नही होने के कारण निर्णय व डिक्री तहत शून्य है। अत: अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर दिनांक 26-05-2016 निरस्त किया जावे तथा दावा रेस्पोडेंटस खारिज फरमाया जावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पो न.1 की ओर से पैरवी हेतु वकील श्री गोविंदसिंह डागुर ने हाजिर अदालत आकर वकालतनामा पेश किया। रेस्पो न. 4 व 6 बावजूद पर्याप्त सूचना अनुपस्थित आये। रेस्पो न. 2,3,4 व 5 की ओर से एक प्रा० पत्र 01 R10 (2) एवं धारा 151 CPC का पेश कर रेस्पोडेन्टस से हटाकर अपीलांटस के रूप में दर्ज/प्रतिस्थापित होना चाहा जो प्रा.पत्र स्वीकार हुआ और रेस्पो०न. 2,3,4 व 5 को अपील में अपीलांटस के रूप में प्रतिस्थापित किया गया और उनकी ओर से वकील श्री संतोषी लाल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को अपील पर सुना।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने दौराने बहस अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए पत्रावली की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए दलील दी कि रेस्पो न.1 वादीगण ने एक दावा विभाजन एवं हुक्म इम्तनाई दवामी अंतर्गत धारा 53 व 188 RT Act अधीनस्थ कोर्ट में पेश किया था जो दिनांक 26-05-2016 को लोक अदालत/कैम्प कोर्ट गावडी में प्राथमिक डिक्री किया गया। दावा में चार गांवो की भूमि यथा पीरनगर, बछामदी, नंगला केवल एवं गावडी में स्थित बतायी है। दावा की मद न.10 को निम्न प्रकार दोहराया कि - " विवादित आराजी दो भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र क्रमश: पीपला एवं कस्बा भरतपुर के ग्राम पीरनगर, बछामदी न.1, गांवडी एवं नंगलाकेवल में स्थित है एवं समस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 5 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार सह-खातेदार अंकित है एवं दर्ज हिस्सेनुसार ही आराजी पर काबिज है। चूंकि विवादित आराजी एक ही तहसील एवं दो अलग भूअभिलेख निरीक्षक के अलग-अलग ग्रामो में स्थित है। फरीकेन एक खानदान के हैं। इसलिये दावा धारा 53(5) एवं धारा 92 RT Act के तहत एक से अधिक भूमि क्षेत्र में बंटवारे के लिये एक ही दावा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।" निर्णय दिनांक 26-5-2016 का है जबकि प्रकरण में

(36)

आगामी तारीख पेशी दिनांक 30-05-2016 नियत थी लेकिन प्रकरण को दिनांक 26/5/2016 को लोकअदालत/कैम्प कोर्ट गावड़ी में रखकर प्राथमिक डिक्री कर दिया गया। जबकि प्रकरण में प्रा-पत्र 08 R(1) सीपीसी सपठित धारा 151 CPC पेश किया गया था। जिसके जवाब व बहस हेतु पत्रावली नियत की गई थी। प्रतिवादीगण रेस्पो०-प्रतिवादीगण को कोई सूचना नही दी गई और दिनांक 26-5-2016 को राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट गावड़ी में प्रकरण को रखा गया जबकि प्रकरण प्रार्थना पत्र के जवाब/बहस की प्रक्रियाधीन था। कैम्प कोर्ट या लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति/राजीनामा के ही मामले रखे जाते है जबकि यहां ऐसा कुछ भी नही था और फिर न दोनों पक्षों को पूर्ण रूप से सूचित किया। इसके अलावा प्राथमिक डिक्री जारी होने से पूर्व मानसिंह एवं अमरवती फौत हो चुके थे जिस से यह डिक्री मृत व्यक्तियों के खिलाफ जारी होने से शून्य है। इस संबंध में माननीय न्यायालय की नजीरें यथा 2013 DNJ (Part-III) पेज 987, 2017 DNJ (II) पेज 415 (B) भी उद्धृत की। प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत नही हुआ था और न ही साक्ष्य ली गई थी। इसके समर्थन में माननीय न्यायालय की नजीर RBJ 2022 पेज 554 उद्धृत की। तहत न्यायालय का निर्णय Arbitrary है। माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर उद्धृत कर (1990 AIR SC 1402) तर्क दिया कि "No one can be unheard" अर्थात कोई भी पक्ष-बिना सुने नही होना चाहिये। इस प्रकार यह डिक्री हमें बिना सूचित करे, बिना सुने, एकतरफा में दावा की विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए पारित की गई जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः हमारी अपील स्वीकार फरमायी जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो० ने दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपी० द्वारा दी गई दलीलों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि दावा विभाजन का है और राजस्व रिकार्ड के अनुसार हिस्से अनुसार विभाजन हेतु पेश किया था। दिनांक 18-10-2012 को दावा पेश हुआ था और प्रतिवादीगण 1से 4 की ओर से वकील उपस्थित हो गये थे और 2 जनों की एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई थी। लगभग 4 वर्ष तक प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा ही पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

नहीं किया गया था। राजस्व लोक अदालत का कैम्प होने से प्रकरण रखा गया और फिर विभाजन का मामला होने से किसी के भी अधिकार प्रभावित नहीं हुए है। कुर्रे में अपीलांटस-प्रति० को आपत्ति पेश करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस प्रकार लोक अदालत में प्रकरण रखकर निर्णीत किया है जिसमें दोनों पक्षों के हिस्सों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। इसके अलावा लोक अदालत के निर्णय की अपील न होकर रिट होगी। जिससे प्रकरण मौजूदा अदालत में चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांटस खारिज फरमायी जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहत न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा में तारीख पेशी 30-05-2016 नियत थी और प्रकरण में प्रार्थना पत्र के जवाब/बहस में चल रही थी। दावा का जवाबदावा भी पेश नहीं हुआ था। प्रकरण में दोनों पक्षों में कोई राजीनामा की बात नहीं चल रही थी और न ही उनमें कोई सहमति थी। प्रकरण को कैम्प कोर्ट गावड़ी में दिनांक 26-05-2016 को नियत किया गया और इस बाबत पक्षकारान को कैंप में उपसंजात होने हेतु कोई नोटिस या सूचना भी दिया जाना पत्रावली से स्पष्ट नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण का निस्तारण प्रतिवादीगण/अपीलांटस को बिना सूचित किये और बिना सुने उनकी अनुपस्थिति में किया ~~गया~~ है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। इसके अलावा लोक अदालत में वे ही प्रकरण रखे जाते है जिनमें राजीनामा होता है जबकि मौजूदा प्रकरण को विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन कर निर्णीत किया है। साथ ही यह निर्णय विधिक प्रक्रिया के उल्लंघन का है और राजीनामा भी नहीं पाया जाता है जिससे इसको अपीलीय प्रकरण की श्रेणी में माना जावेगा न कि रिट के योग्य। साथ ही यह आदेश मृत व्यक्तियों के खिलाफ हुआ जो शून्य है। हमने माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों का भी सम्मानपूर्वक अवलोकन किया जो मौजूदा प्रकरण में अपीलांटस के मददगार साबित

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

साबित है। विद्वान अभिभाषक रेस्पो० द्वारा दी गई दलीलें सारहीन एवं निराधार होने से ग्राह्य नहीं है जबकि विद्वान अभिभाषक अपीलांटस द्वारा दी गई दलीलों से हम पूर्णतया सहमत है। इस प्रकार तहत न्यायालय द्वारा जारी आदेश प्रकरण की स्थितियों और प्रक्रिया पालन (अभाव) के मध्येनजर काबिले खारिज है।

7. फलस्वरूप उक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलांटस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय की (आदेश) डिक्री व निर्णय दिनांक 26-05-2016 अपास्त किया जाता है और तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में जवाबदावा लेकर तन्कीयात कायम कर उभय पक्ष को साक्ष्य/सबूत का पर्याप्त अवसर देते हुए समुचित सुनवाई कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

आज दिनांक 26-07-2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

(मुहर: राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर (राज.))